पर इसके कार्यान्वयन का प्रबोधन किया जा रहा है।

(ii) साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० की सभी भूमिगत खानों का निरीक्षण करने के लिये विशेष सुरक्षा लेखा परीक्षा दल का गठन किया गया है।

(ग) और (छ) संबंधित एजेंट, प्रबंधक, कोलियरी सुरक्षा अधिकारी तथा कोलियरी इंजीनियर को आरोप-पत्र दिया गया है जबकि क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी तथा वेंटी-लेशन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री की आपूर्ति हेतु सहायक उद्योग

6238. **श्री गोविन्द राम मिरी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० द्वारा वहां लगने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु बिलासपुर संभाग के कितने उद्योगों को सहायक उद्योगों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इस समय उनमें से कितने में उत्पादन हो रहा है ;

(ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा खरीद करने के लिये प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है और उनमें से कितने मूल्य का आर्डर बिलासपुर स्थित इन सहायक उद्योगों को दिया गया है ; और

(ग) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, बिलासपुर स्थित सहायक उद्योगों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग कर रहा है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) इस संबंध में शायद "सहायक कम्पनी" ऐसे सहायक उद्योग हैं, जोकि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। बिलासपुर प्रभाग की 41 औद्योगिक यूनिटों को कोल इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा सहायक उद्योगों का स्तर प्रदान किया गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा प्रस्तुत किये गये 265.00 करोड़ रु० के खरीद की कुल कीमत के सामग्री आर्डरों में से 8.00 करोड़ रु० की कीमत के आर्डरों को उपर्युक्त सहायक उद्योगों पर प्रस्तुत किया गया था।

(ग) जी, हां।

आर्थिक रूप से असक्षम कोयला खानें

6239. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या कोयला मंत्री 28 फरवरी, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 676 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी कोयला खानें आर्थिक रूप से असक्षम पायी गई हैं ;

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या उपयुक्त कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार कर रही है ; और

(ग) सरकार ने इन खानों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के लिए क्या योजना बनायी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 18 खानों को चरणबद्ध रूप में बंद करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कर लिया गया है इनमें से अब 3 खानों में क्रियाकलाप बंद कर दिए गए हैं। कार्यकलापों में सुधार करने के लिए चार खानों को अन्य खानों के साथ मिला दिया गया है/समाहित कर

दिया गया है। बाकी बची हुई 11 खानों में खनन-क्रियाकलाप वर्तमान में जारी हैं। किन्तु, उनके बंद किए जाने के संबंध में निर्णय आगामी अवधि में कोल इंडिया लि० द्वारा लिया जाना है। ऐसी खानों के बंद किए जाने के परिणाम स्वरूप कामगारों को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। उनका अन्य कोलियरियों में वैकल्पिक रूप में (दोनों विद्यमान एवं नई परियोजनाओं में) पुनः नियोजन किया जाएगा। जहां भी आवश्यकता होगी, उनके उन्नयन/बदली हुई कार्य-कुशलता में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जब भी शुरू की जाएगी, उसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

"पिट" सुरक्षा समिति

6240. **श्री गोविन्द राम मिरी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चूर्चा कोयला खान में सुरक्षा हेतु कोई "पिट" सुरक्षा समिति गठित की है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त समिति कार्यरत है;

(ग) क्या समिति द्वारा दिए गए सुझावों को प्रबंधन तंत्र द्वारा कार्यान्वित किया जाता है; और

(घ) खानों के अंदर कार्यरत व्यक्तियों को सुरक्षा हेतु जो वस्तुएं दी जाती हैं, उनका ब्यौरा क्या है, ये वस्तुएं कितनी अवधि के अन्तराल पर दी जाती हैं, उनकी खरीद कहां से की जाती है और उनकी टिकाऊपन की अवधि क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की चूर्चा कोलियरी में एक 16 सदस्यीय पिट सुरक्षा समिति जिसमें मजदूर संघों अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के रूप में नामित करके गठन किया गया है। सामान्यतः यह समिति प्रत्येक माह की 25 तारीख को अपनी बैठक करती है। समिति की बैठक के दिन के उस दिन (पूर्वाह्न) में सभी सदस्यों द्वारा जिलों का दौरा किया जाता है। जबकि (अप०) में निरीक्षण पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा पिछली बैठक की पुनरीक्षा के अलावा दुर्घटनाओं से संबंधित विश्लेषण भी किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) भूमि के भीतर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा हैलमैट तथा सुरक्षा जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। कोयला कंपनियां भी पर्यवेक्षकों के लिए तथा खान के दूरस्थ इलाके में कार्यरत व्यक्तियों के लिए स्व-बचाव यंत्र उपलब्ध कराती हैं। भूमि के भीतर काम करने वाले सभी व्यक्तियों को स्व-बचाव यंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए खरीद संबंधी कार्रवाई पहले ही कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, दूसरे उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, वैल्डिंग तथा ग्राइन्डिन चश्मे, धूल मास्क, सुरक्षा बैल्ट, फ्लैम सुरक्षा लैम्प, मैथानोमीटर, आदि को उनके काम की प्रवृत्ति के अनुसार जारी किए जाते हैं।

सुरक्षा हैलमैट 3 वर्ष के अन्तराल में दिए जाते हैं जबकि सुरक्षा जूते सांविधिक निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छः माह के अन्तराल में जारी किए जाते हैं। अन्य उपकरण आवश्यकतानुसार जारी की जाती हैं।

सुरक्षा जूते, सुरक्षा हैलमैट, स्व-बचाव यंत्र मैथानोमीटर, सुरक्षा लैम्प आदि को सुरक्षा महानिदेशक के अनुमोदन तथा आई० एस० आई० के उपयुक्त मानदंडों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् ही खरीद की जाती हैं। अन्य छोटे-छोटे उपकरण जैसे हाथ